

प्र.सं. .... / दावा / प्र.पत्र / .....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई अतिमात्रक समय पर उपस्थित है। जज काय  
प्रकार अधिकारी राज्य कार्यवाही बाहर क्षेत्र में तारीख रखते हैं  
कार्य में प्राप्त है। अभिलेखिकण अनुसंधान पर है। जज  
कार्यवाही हेतु दिनांक 6/3/26 को पेश हो

रीज फैसला  
7.03.2026

प्राची

6/3/26 पत्रावली पेश हुई अपायगिन वावजूद सूचना पुनः  
क्रि. 1 एक पक्षीय कारवाही अभिलेख में लाम्बी  
जाती है वह एक पक्षीय सूनी गई पत्रावली  
वास्ते आदेश दि. 17/3/26 को पेश हो

५५

17/3/26 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई / पत्रावली सरकार अपन  
प्र. पत्र प्रतीक्षित किता जाता है। विस्तृत निर्णय  
प्रकार से लिखा जाकर शा. मि. किया गया। निर्णय की  
एक प्रति तहसीलदार तालीम को पालनार्थ भेजी जाये।  
पत्रावली फैसलानुसार होकर नम्बर से कम हो बाद  
तामिल तहसील निम्नानुसार शामिल दफतर हो।

५५

प्राची

यम

जी

रा

ई

ब

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बुन्दी)

पीपल्स अधिकारी श्रीमती मनरवी नरेश R.A.S

मिसल नं०  
306/प्रा०पत्र/2025

तारीख दायरा  
03.02.2025

तारीख फैसला  
17.03.2026

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तालेडा जिला बुन्दी

प्रार्थी

जन्म

1. गीता बाई पुत्री हजारा हिस्सा 3/50 जाति मीणा निवासी बल्लोप
2. बिरधीलाल पुत्र जालमा हिस्सा 6/25 जाति मीणा निवासी बल्लोप
3. बीना पुत्री मथरा हिस्सा 3/50 जाति मीणा निवासी बल्लोप
4. बीनाबाई पुत्री हजारा हिस्सा 3/50 जाति मीणा निवासी बल्लोप
5. मंजू पुत्री मथरा हिस्सा 3/50 जाति मीणा निवासी बल्लोप
6. महावीर पुत्र माता पाना बाई हिस्सा 1/50 जाति मीणा निवासी बल्लोप
7. मोजू पुत्र मथरा हिस्सा 3/50 जाति मीणा निवासी बल्लोप
8. मोहन पुत्र जालमा हिस्सा 6/25 जाति मीणा निवासी बल्लोप
9. रुकमणीबाई पुत्री हजारा हिस्सा 3/50 जाति मीणा निवासी बल्लोप
10. रघुवीर पुत्र माता पानाबाई हिस्सा 1/50 जाति मीणा निवासी बल्लोप
11. रामनाथ पुत्र हजारा हिस्सा हिस्सा 3/50 जाति मीणा निवासी बल्लोप
12. संजू पुत्री मथरा हिस्सा 3/50 जाति मीणा निवासी बल्लोप

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

अभिभाषक प्रार्थी - टेरोकार सरकार

अभिभाषक अप्रार्थीगण-

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर ओकेत किया कि ग्राम व पटवार कण्डल बल्लोप तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 471 रकबा 0.3723 हेक्टे किस्म नहरी 2 भूमि गैर खातेदार 1.गीता बाई पुत्री हजारा हिस्सा 3/50, 2. बिरधीलाल पुत्र जालमा हिस्सा 6/25, 3 बीना पुत्री मथरा हिस्सा 3/50, 4. बीनाबाई पुत्री हजारा हिस्सा 3/50 जाति मीणा निवासी बल्लोप 5.मंजू पुत्री मथरा हिस्सा 3/50, 6. महावीर पुत्र माता पाना बाई हिस्सा 1/50, 7. मोजू पुत्र मथरा हिस्सा 3/50, 8. मोहन पुत्र जालमा हिस्सा 6/25, 9. रुकमणीबाई पुत्री हजारा हिस्सा 3/50, 10. रघुवीर पुत्र माता पानाबाई हिस्सा 1/50, 11. रामनाथ पुत्र हजारा हिस्सा 3/50, 12. संजू पुत्री मथरा हिस्सा 3/50, जातियान मीणा निवासीगण बल्लोप तहसील तालेडा जिला बुन्दी के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हक्का बल्लोप अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम बल्लोप की आराजी ख० सं० 471 रकबा 0.3723 हेक्टे किस्म नहरी 2 भूमि जो कि कृषि भूमि है पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है जबकि अप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये उक्त भूमि को अकृषि उपयोग (डुकानें) किया जा रहा है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरुद्ध हैं। उक्त भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य में सम्भव नहीं है। राज्य सरकार की ओर से जरूरी तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत

vy

प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम बल्लोप की आराजी खसरा संख्या 471 रकबा 0.3728 हैक्टे0 किस्म नहरी 2 भूमि सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ज नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस पेटोकार सरकार एकपक्षीय सूनी गई। दौंसने बहस पेटोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर अकृषि कार्य किया जाकर कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम बल्लोप पटवार मण्डल बल्लोप तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 471 रकबा 0.3728 हैक्टे0 किस्म नहरी 2 भूमि सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस उभयपक्ष सूजने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थीगण द्वारा वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 471 रकबा 0.3728 हैक्टे0 किस्म नहरी 2 ग्राम बल्लोप पटवार मण्डल बल्लोप तहसील तालेडा पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि कार्य कर खातेदार कृषक ने कृषि जोत पर अहितकर कार्य एवं शर्त भंग का दोषी होना माना गया है किन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त कृषि जोत में कितने डिस्के पर किस प्रकार का अकृषि कार्य किया यथा उक्त अकृषि कार्य हेतु स्थायी रूप से निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया अथवा अस्थायी निर्माण किया गया है। साथ ही उक्त निर्माण कितने भूभाग पर व किस प्रकृति का है के सम्बन्ध में नाप चौक व अन्य विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर किन नियमों के तहत क्या कार्यवाही की गई का विवरण अथवा दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, ना ही तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व भू-स्वामी की हैसियत से कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न किया गया है अपूर्ण कार्यवाही के मध्यनजर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अन्तिम निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपूर्ण दस्तावेज एवं स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि नियमावली के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही की जाकर पूर्ण दस्तावेजों व स्पष्ट रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा दंडित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)  
उपसभ्य अधिकारी  
तालेडा